भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2588
उत्तर देने की तारीख : 19.12.2023

अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों हेतु कोचिंग योजनाएं

2588. श्री संजय काका पाटील:
श्री एन. रेड्डप्प:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए कोचिंग और संबद्ध सहायता योजना का संक्षिप्त विवरण क्या है;
(ख) कोचिंग योजना से संबंधित वित्तीय लेन-देन को सुकर बनाने में आधार-समर्थित बैंक खातों और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तंत्र की भूमिका का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार पैनल में शामिल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्य-निष्पादन और छात्रों को प्रदान की जाने वाली कोचिंग के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करती है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क) : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही एससी और ओबीसी छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग स्कीम का उद्देश्य आर्थिक रूप से लाभवंचित अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करना है ताकि वे सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में उचित नौकरियां प्राप्त करने के लिए परीक्षा दे सकें और/अथवा प्रतिष्ठित तकनीकी और व्यवसायिक उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर सकें। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार, जिनकी सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक वार्षिक आय 8.00 लाख रूपए तक है, इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। चयनित मेधावी उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने गए पाठ्यक्रमों के आधार पर 20,000/- रूपए से लेकर 75000/- रुपए तक पाठ्यक्रम शुल्क प्रदान किया जाता है। साथ ही डीबीटी के माध्यम से प्रति छात्र 4000 रुपए का मासिक वजीफा भी प्रदान किया जाता है।

(ख): आधार-सक्षम बैंक खाता और वित्तीय लेनदेन में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तंत्र वास्तविक लाभार्थियों को समय पर लाभ पहुंचाने में सहायता करता है तथा लाभार्थियों के दोहराव को रोकने में भी मदद करता है।

(ग) और (घ) : मंत्रालय नियमित निगरानी द्वारा तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों से समय-समय पर रिपोर्ट प्राप्त करके डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन (डीएएफ) के सहयोग से स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। छात्रों को प्रदान की गई कोचिंग के प्रभाव का मूल्यांकन निधियों की दूसरी किस्त जारी करते समय किया जाता है तथा विश्वविद्यालयों के नवीनीकरण और पैनलबद्धता के संबंध में निर्णय स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुबंध- ख में निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। अनुबंध-ख की प्रति **अनुबंध** के रूप में रखी गई है।

लोक सभा में दिनांक 19.12.2023 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2588 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-ख

निधियां जारी करने के लिए पैनलबद्ध संस्थानों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा संबंधी मानदण्ड तथा नि:शुल्क कोचिंग स्कीम के अंतर्गत पैनल का नवीकरण

क्र.स.	प्रतियोगी परीक्षा	सफलता मानदंड	निधियों की द्वितीय किश्त जारी करने तथा पैनल के नवीकरण का मापदंड
			बैच के आकार के % के अनुसार सफलता दर
1.	केंद्रीय सिविल सेवा तथा राज्य सिविल सेवाएं	किसी केंद्रीय अथवा राज्य सिविल सेवा में प्रारंभिक/मुख्य/अंतिम चयन में सफलता	4%
2.	एसएससी/आरआरबी/बैंकिंग/आईईएस/बीमा/पीएसयू	अंतिम चयन अथवा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर भी सफलता के आकलन हेतु विचार किया जाएगा	16%
3.	जेईई	जेईई के मामले में, मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करना/ किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में बी.टेक/बीई पाठ्यक्रम में अंतिम चयन, जिसमें से कम से कम आधे उम्मीदवारों ने अंकों के अंतिम कट ऑफ को पार कर लिया हो, जिसके अनुसार किसी भी राजकीय महाविद्यालय में एससी छात्रों का चयन किया गया हो।	20%
4.	गेट	किसी भी सरकारी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने और/अथवा परीक्षा के माध्यम से केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के किसी भी पीएसयू में नियोजन के लिए आवश्यक कटऑफ के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करना	10 %

5.	एनईईटी	किसी भी मेडिकल महाविद्यालय में एमबीबीएस/बीडीएस/बी.फार्मा पाठ्यक्रम में प्रवेश, जिसमें से कम से कम आधे उम्मीदवारों ने अंकों के अंतिम कट ऑफ को पार कर लिया हो, जिसके अनुसार किसी भी राजकीय महाविद्यालय में एससी छात्रों का चयन किया गया हो।	14%
6.	कैट/क्लैट	पीजीडीएम/एमबीए/एलएलबी के लिए किसी भी राजकीय महाविद्यालय से जीडी तथा साक्षात्कार के लिए कॉल प्राप्त की हो	20% कम से कम 2% राजकीय महाविद्यालय में होना चाहिए
7.	सीएसीपीटी	सीए पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करना	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कम से कम 30% छात्रों को पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
8.	जीआरई/जीमैट/एसएटी/टीओईएफएल	परीक्षा के लिए कुल अधिकतम अंकों का कम से कम 65% अंक प्राप्त करना	10%
9.	एनडीए/सीडीएस/सीपीएल	इन पाठ्यक्रमों के लिए साक्षात्कार का बुलावा आना	10%

******